

## हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा, 201

केवल इस पत्र को सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में कोष-पत्र सहित प्रेषित करें। बिना कोष-पत्र के कोई आवेदन-पत्र स्वीकार न होगा (परीक्षार्थी द्वारा साफ-साफ सभी प्रविष्टियों को पूरा भरा जाय) (हाईस्कूल अथवा इण्टर स्पष्ट रूप में अंकित करें) परीक्षा का नाम

अनुक्रमांक { (अंको में)  
(शब्दों में)

### सन्निरीक्षा के लिए आवेदन-पत्र


सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) के कार्यालय में कोष-पत्र की मूलप्रति सहित परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्राप्त हो जाय। सन्निरीक्षा-शुल्क बैंक ड्राफ्ट व पोस्टल-आर्डर के रूप में स्वीकार न किये जायेंगे और ऐसे आवेदन-पत्र निरस्त समझे जायेंगे। सन्निरीक्षा शुल्क ₹ 100/- विषय के प्रति प्रश्न-पत्र निर्धारित है।

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,

कार्यालय, रामनगर (नैनीताल)



महोदय,

मैं अपनी उत्तर-पुस्तकों के अंकों की सन्निरीक्षा परिषद् के अध्याय-12, विनियम-16 एवं इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र पर मुद्रित सन्निरीक्षा के नियमों एवं विषयों के अन्तर्गत कराना चाहता हूँ :-

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1-परीक्षार्थी का पूरा नाम | (हिन्दी में)   |
| 2-अनुक्रमांक (हिन्दी में) | (अंग्रेजी में) |
| 3-विद्यालय का नाम         | (अंग्रेजी में) |
| 4- ₹ कोष-पत्र संख्या      | दिनांक         |

राजकोष

में जमा किया। Mob.No -

(सन्निरीक्षा के विषय यहाँ अंकित करें)

- |                    |    |    |
|--------------------|----|----|
| 5-विषय का नाम      | 1- | 4- |
| जिसमें सन्निरीक्षा | 2- | 5- |
| करानी है           | 3- | 6- |

6-पूरा पता, मोबाइल नं. सहित -

दिनांक

201-

भवदीय,

प्रार्थी का हस्ताक्षर

नोट :- आवेदन-पत्र के साथ एक सादा लिफाफा पते सहित (जिस पते पर परीक्षार्थी सन्निरीक्षा परिणाम की सूचना चाहता है) संलग्न करना अनिवार्य होगा जिस पर रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा हो।

- 2- लेखाशीर्षक-
- 0202 शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति
  - 01 सामान्य शिक्षा
  - 102 माध्यमिक शिक्षा
  - 02 बोर्ड परीक्षा शुल्क

सन्निरीक्षा शुल्क उक्त लेखाशीर्षक में ₹ 100/- प्रति विषय के प्रति प्रश्न-पत्र की दर से राजकीय कोष में चालान द्वारा जमा करना हो।

टिप्पणी—कृपया निम्नलिखित कालमों में प्राप्तांकों का उल्लेख कीजिए :-

परीक्षा : 201 \_\_\_\_\_  
(हाईस्कूल अथवा इण्टर)

## अंक—चिट की प्रमाणित प्रतिलिपि

अनुक्रमांक \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_

विषय	प्राप्तांक			स्थितीय ग्रेड	सम्पूर्ण योग	परीक्षाफल
	लिखित	प्रयोगात्मक	योग			

यथार्थ प्रतिलिपि

दिनांक

201 \_\_\_\_\_

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

.....  
(परीक्षार्थी यहाँ पर अपना नाम तथा पूरा पता लिखें )सेवा में,  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## (कृपया इस पन्ने को अपने पास सन्दर्भ के लिए रख लें)

तार का पता :-

"इण्टरमीडिएट रामनगर"

प्रेषक,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,  
कार्यालय, रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

श्री \_\_\_\_\_

पत्रांक : हाईस्कूल/इण्टर/परि०

रामनगर, दिनांक

,201\_\_\_\_\_

आपके पोस्टकार्ड/पत्र/तार, दिनांक

,201 के सन्दर्भ में अंकों की सन्निरीक्षा के

विषय में आवेदन-पत्र की एक प्रति प्रेषित है।

संलग्नक-1

कृते सचिव।

टिप्पणी-(1) शुल्क सन्निरीक्षा हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि परिषद् के परीक्षाफल प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर है, जिस पर विशेष ध्यान देना अपेक्षित है। कृपया पत्र-व्यवहार करते समय ट्रेजरी चालान, मनीआर्डर कूपन में अपना सही अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम (इण्टरमीडिएट या हाईस्कूल) एवं वर्ष का उल्लेख कीजिए जिससे उस पर अविलम्ब कार्यवाही की जा सके।

(2) उत्तराखण्ड के किसी भी स्थान से आवेदन-पत्र भेजने वाले परीक्षार्थी अपना सन्निरीक्षा शुल्क ट्रेजरी में ही जमा करें और ट्रेजरी चालान की मूलप्रति आवेदन-पत्र के साथ भेजें। उन परीक्षार्थियों का मनीआर्डर या किसी अन्य प्रकार से भेजा गया सन्निरीक्षा-शुल्क कदापि स्वीकार न होगा।

## सन्निरीक्षा के नियम

1-शुल्क सन्निरीक्षा ₹ 100/-, सन्निरीक्षा-शुल्क विषय के प्रति प्रश्न-पत्र की दर से जमा कर मूल कोष-पत्र के साथ निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई भी परीक्षार्थी चाहे वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो अथवा अनुत्तीर्ण अपने प्राप्तांकों का सन्निरीक्षण करा सकता है। यह शुल्क बालकों एवं बालिकाओं के लिए तथा प्रत्येक परीक्षार्थी चाहे उसने केवल एक ही विषय में परीक्षा दी हो अथवा समस्त विषयों में, सभी के लिए समान है। शुल्क को उत्तराखण्ड के किसी भी राजकोष में "0202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, 01-सामान्य शिक्षा, 102-माध्यमिक शिक्षा, 02-बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क" के खाते में जमा करना चाहिए। कोष-पत्र (चालान) को संस्थागत परीक्षार्थी संस्था के प्रधानाचार्य से एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी केन्द्र-व्यवस्थापक से सत्यापित करा लें। कोष-पत्र में परीक्षार्थी का नाम पूर्ण पता, अनुक्रमांक एवं परीक्षा का नाम तथा वर्ग स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। कोष-पत्र की दाहिनी तरफ ऊपरी छोर पर भी अनुक्रमांक का उल्लेख बड़े अक्षरों में निम्न प्रकार करना चाहिए :-

उदाहरणार्थ-

अनुक्रमांक 249061

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट

सन्निरीक्षा हेतु आवेदन-पत्र के साथ राजकीय कोष-पत्र की मूल प्रतिलिपि अवश्य संलग्न कर और उसे परीक्षाफल प्रकाशित होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय में अवश्य भेज दें। उत्तराखण्ड के बाहर से आवेदन-पत्र भेजने वाले परीक्षार्थियों को सचिव, कार्यालय में रेखांकित पोस्टल ऑर्डर अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की रामनगर (नैनीताल) शाखा पर देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अपना सन्निरीक्षा शुल्क भेजना चाहिए।

परीक्षाफल प्रकाशन से 30 दिन के उपरान्त प्राप्त किये गये आवेदन-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और विलम्ब हेतु किसी प्रकार का तर्क (जैसे नियम अनभिज्ञता, अंक-चिट की अप्राप्ति, बीमारी आदि) मान्य नहीं होगा।

2-सन्निरीक्षा के कार्य में परीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तकों की गुण जांच सम्मिलित नहीं है इसमें यह देखा जाता है कि क्या अलग-अलग प्रश्नों में दिये गये अंकों का योग करने, उन्हें अग्रेणित करने अथवा किसी प्रश्न अथवा उसके भाग पर अंक देना छूटने की कोई त्रुटि तो नहीं हुई है।

3-सन्निरीक्षा के परीक्षार्थी द्वारा आवेदित समस्त प्रकरणों की परीक्षाफल जहाँ उसका प्रभाव परीक्षाफल पर पड़ता है (अंक तथा श्रेणी अथवा अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण) सन्निरीक्षा की समाप्ति पर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक को तत्काल भेज दिया जाता है।

4-सन्निरीक्षा के समस्त कार्य गोपनीय होते हैं। मूल्यांकन की हुई उत्तर-पुस्तकें एवं अंक-चिटें गोपनीय अभिलेख हैं। अतः उन्हें किसी भी परीक्षार्थी अथवा उनके अभिभावक आदि को नहीं दिखाया जा सकता। उत्तर-पुस्तकों की एक बार सन्निरीक्षा हो जाने पर पुनः सन्निरीक्षा नहीं होगी। अंकों का पुनः मूल्यांकन सम्भव नहीं है। इन विषयों पर पूछ-ताछ करने पर कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा। सन्निरीक्षा के परीक्षाफल के लिए कृपया 28 फरवरी के पूर्व पत्र-व्यवहार न करें, क्योंकि उक्त तिथि से पूर्व आए हुए पत्रों का उत्तर देना सम्भव न हो सकेगा।

5-उत्तर-पुस्तकों के सन्निरीक्षा कार्य में नवम्बर के अन्त तक का समय लग सकता है। सन्निरीक्षा के फलस्वरूप बहुत थोड़े ही परीक्षार्थियों के परीक्षाफल में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि सन्निरीक्षा परीक्षाफल की प्रतीक्षा न करें। यदि वे परिषद् की आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने पर विचार करते हैं तो उसके लिए आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा कर दें या विद्यालय में प्रवेश ले लें। सन्निरीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे रहना उचित नहीं है। जिन परीक्षार्थियों को कृपांक मिलने से उत्तीर्ण अथवा योग वृद्धि के परिणामस्वरूप श्रेणी परिवर्तन की आशा है, उन्हें उन सभी विषयों की सन्निरीक्षा कराना हितकार होगा जिनमें वे परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। स्मरण रहे कि सन्निरीक्षा शुल्क ₹ 100/- विषय के प्रति प्रश्न-पत्र की दर से जमा करना होगा। जिस विषय की सन्निरीक्षा करानी हो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है।

6-जो परीक्षार्थी सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे वे यदि सन्निरीक्षा फल घोषित होने के पूर्व कक्षा 10 में प्रवेश ले चुके होंगे तो भी उनके लिए कक्षा 11 शैक्षिक वर्ष सन्निरीक्षा फल घोषित होने की तिथि से 10 दिन के बाद प्रारम्भ हुआ माना जायेगा।

7-आवेदन-पत्र के साथ एक सादा लिफाफा पते सहित (जिस पते पर परीक्षार्थी सन्निरीक्षा परिणाम की सूचना चाहता है) संलग्न करना अनिवार्य होगा जिस पर रजिस्ट्री हेतु निर्धारित शुल्क का डाक टिकट लगा हो।

## सूचना

(1) केवल संलग्न आवेदन-पत्र को ₹ 100/- विषय के प्रति प्रश्न-पत्र की दर से शुल्क जमा करके मूल कोष-पत्र के साथ निर्धारित तिथि के अन्दर कार्यालय में भेज दें।

(2) अंक-चिट अपने प्रधानाचार्य/केन्द्र-व्यवस्थापक से अविलम्ब प्राप्त कर लें।